कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612346

क्रमांकः एफ37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2022/3427 दिनांकः- 01/08/2022

-:कार्यवाही विवरण:-

जोन उत्तर की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 04/2022 वीं बैठक दिनांक 28.07.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमे प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 22.03.2022 के जोन उत्तर के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।			
1.	उत्तर	**राजस्व ग्राम करवड के खसरा संख्या 453, 426 (पार्ट) क्षैत्रफल 106837.01 वर्गमीटर पर संस्थागत प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।** **आवेदकः- आयुक्त, डी.ओ. आई.टी. एण्ड सी** भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 04/2022 वीं बैठक दिनांक 28.07.2022	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भवन मानचित्र सैद्वान्तिक रूप से अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया -** 1. राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के बिन्दु संख्या 7.8 के कम में प्रश्नगत प्रकरण के राजकीय शैक्षणिक परिसर (विश्वविद्यालय) होने के कारण संस्थान के काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत वास्तुविद् श्री सुनिल एस. लढ्ढा को भवन विनियम 2020 एवं एन.बी.सी. में उल्लेखित फायर फायटिंग से संबंधित प्रावधान को सुनिश्चित करते हुए प्राधिकरण में नियमानुसार राशि जमा कराने, भवन अनुज्ञा/मानचित्र जारी किये जाने एवं तदानुसार निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित करवाये जाने बाबत् अधिकृत किया गया। उक्त की पुष्टि किये जाने हेतु मुख्य नगर नियोजक महो., राजस्थान जयपुर को सूचित किया जावें। तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावें। 2. प्रकरण में प्रस्तावित Academic Block की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। 3. प्रकरण में प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भू-जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावें। 4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 5. भवन मानचित्र में अपेक्षित कारों की संख्या, वृक्षो की संख्या एवं विशेषजनों हेतु समस्त प्रावधानों की सुनिश्चितता उपरांत संशोधित मानचित्र जारी किये जावें। 6. भवन मानचित्र में एनबीसी के प्रावधानों अनुसार फायर स्टेयरकेस का प्रावधान, विस्तृत प्लान अनुसार साईट प्लान में संशोधन, सीढियों की नियमानुसार न्यूनतम 1.5 मीटर चौडाई, संवातन शाफ्ट की न्यूनतम चौडाई व क्षेत्रफल, आंतरिक टॉयलेट हेतु मेकेनिकल वेन्टीलेशन का प्रावधान मय शपथ-पत्र तथा Academic Block में प्रस्तावित बेसमेंट हेतु रैम्प की

			चौड़ाई, ढलान एवं कॉलम दर्शाते हुए पार्किंग प्लान प्राप्त करने हेतु आवेदक को सूचित किया जावें। 7. प्रस्तावित मानचित्र हेतु वास्तुविद् की संशोधित अन्डरटेकिंग प्राप्त की जावें। 8. भवन की Structural Safety हेतु एन.बी.सी Part VI के प्रावधान की सुनिश्चितता हेतु शपथ–पत्र लिया जावें। 9. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के अनुसार भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत् शपथ पत्र प्राप्त किया जावें एवं फायर सेस लिया जावें। 10. प्रकरण में निर्मित क्षैत्रफल 20000 वर्गमीटर से अधिक है। अतः पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने से पूर्व पर्यावरण विभाग से अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में शपथ–पत्र प्राप्त किया जावें। 11. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें। उपरोक्त सभी बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
2.	उत्तर	**राजस्व ग्राम उम्मेद नगर के खसरा संख्या 534/352 के कृषि आधारित प्रयोजनार्थ भूखण्ड पर भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।** **आवेदकः– सदाशिव साईलियम प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री सुनिल मेन्हदीरत्ता** भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 04/2022 वीं बैठक दिनांक 28.07.2022	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया –** 1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुसार श्रम उपकर लिया जावें। 2. भवन मानचित्र में अपेक्षित वृक्षों की संख्या एवं वेस्ट वॉटर रिसाईकलिंग की सुनिश्चितता उपरांत संशोधित मानचित्र जारी किये जावें। 3. आवेदक से वर्तमान वित्तिय वर्ष 2022–23 की लीज राशि वसूल की जाकर मानचित्र जारी किये जावें। 4. प्रकरण में नियमानुसार बिना स्वीकृति निर्माण शास्ती वसूल की जावें। 5. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के अनुसार भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत् शपथ पत्र प्राप्त किया जावें एवं फायर सेस लिया जावें। 6. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अन्डरटेकिंग व शपथपत्र प्राप्त किया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 7. नियमानुसार देय सभी भवन शुल्क जमा करवाये जाने के उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें। उपरोक्त सभी बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।
3.	उत्तर	**राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 378 के एकल भूखण्ड क्षैत्रफल 2500 वर्गगज (2090. 32 वर्गमीटर) पर होटल**	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया –**

		प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा में संशोधन बाबत्। **आवेदकः— श्री भवानी सिंह पुत्र स्व. श्री गेनसिंह (श्री गेनसिंह पुत्र श्री गोरधन सिंह की मृत्यु उपरान्त)** भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 04/2022 वीं बैठक दिनांक 28.07.2022	1. प्रकरण में पूर्व में भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 28.07.2020 में लिए गए निर्णय के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में जोन स्तर पर नाम हस्तान्तरण/स्वामित्व/नवीन पट्टा विलेख के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावें। 2. प्रकरण में पूर्व में भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 28.07.2020 में लिए गए निर्णय के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में आवेदक से सेटबेक क्षेत्र में निर्मित कमरों को भवन अनुज्ञा जारी होने के एक वर्ष में अथवा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने से पूर्व, जो भी पहले हो, में हटाये जाने बाबत् शपथ-पत्र प्राप्त किया जावें। साथ ही बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार शास्ती वसूल की जावें। 3. शेष शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2022/3428 दिनांकः— 01/08/2022

प्रतिलिपी :— निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

P.T.O.

परिशिष्ट–"1"

जोन उत्तर की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 04/2022 वीं बैठक दिनांक 28.07.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री अवधेश मीना, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री जयनारायण मीना, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री सुभाष चन्द शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
6.	श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर